रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D.(D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12, 1975/आषाढ़ 21, 1897

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12, 1975/ASADHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a compilation

COMPLETED

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 831.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विभिन्न ज्येष्ठ पुलिस पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

... आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो ... में विनिर्दिष्ट हैं।

... जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
...वित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

...ा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है ... को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(1871) Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

(ii) is registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or is a body corporate established or incorporated under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, for the time being in force or is a Trust with Trustees being appointed and vested with legal powers and duties; and

(iii) is permanently affiliated to a University which has been reclared fit under section 12A of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) for receiving grants.

[No. F-9-59-U.2(3)]
K. N. CHANNA, Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जून, 1975

सा०का०नि० 858.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नागरिक कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरिक कला आयोग (वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—उन नियमों में जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से दिल्ली नागरिक कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना :—(1) दिल्ली नागरिक कला आयोग, केन्द्रीय सरकार को पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलाप का सही और पूरा वृतान्त देते हुए उस वर्ष जिस से उसका संबंध है, की समाप्ति के तीन मास के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अग्रेषित करेगा :

परन्तु आयोग द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर केन्द्रीय सरकार उसे ऐसा अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगी जो वह वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे अग्रेषित करने की परिस्थितियों के विषय में उचित समझे।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में नीचे विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

I. भूमिका।

II. प्रकाशन।

(i) आयोग और उसके अधिवेशन।

(ii) कार्यालय संगठन।

(iii) अधिकारिता।

III. आयोग द्वारा संवीक्षित प्रस्थापनाओं की संख्या, परिवर्तन रहित अनुमोदित प्रस्थापनाओं की संख्या, परिवर्तन सहित अनुमोदित प्रस्थापनाओं की संख्या और आयोग के पास लंबित प्रस्थापनाओं की संख्या, तथा लंबित रहने की अवधि। उन प्रस्थापनाओं की जिन्हें धारा 22 के अधीन आयोग के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है, की संख्या और मोटे ब्योरे प्रथमत: उल्लिखित किए जाएंगे।

1. महत्व की अन्य कोई बातें।

[सं० एम० 11018/1/75 यू०डी०2]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 18th June, 1975

G.S.R. 858.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—

(1) These Rules may be called the Delhi Urban Art commission(Submission of Annual Report) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition :—

In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);

(b) "Section" means a section of the Act.

3. Submission of annual report :—

(1) The Delhi Urban Art Commission shall prepare and forward to the Central Government an annual report, giving a true and full account of its activities, during the previous year, within three months of the conclusion of the year to which it relates :

Provided that the Central Government may, on sufficient cause shown by the Commission, allow it such further time as it thinks fit in the circumstances of the case to prepare and forward the annaul report.

(2) The annual report shall contain the particulars in respect of the matters specified below, namely :—

I. Introduction.

II. Administration.

(i) The Commission and its meetings.

(ii) Office Organisation.

(iii) Jurisdiction.

III. Statistical data about the number of proposals scrutinised by the Commission, number of proposals approved without modification, number of proposals approved with modification and the number of proposals pending with the Commission with the period of pendency. The number and broad details of the proposals which have been exempted from the purview of the Commission under section 22 shall also be mentioned separately.

IV. Any other matters of significance.

[No. M. 11018/1/75—UDID]
S. MAHDEVA AYYAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 859.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सूचना सेवा, नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सूचना सेवा (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

Attested

23-7-75

Asstt. Controller (Business,
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54